प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–6/2018/190/64–2–2018–1(68)/2006, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ऑनलाईन संचालित की जा रही है।

वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था 'नीलिट' NIELIT से मान्यता प्राप्त जनपद में कार्यरत संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के युवक/युवतियों को 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन किये जाने **की तिथि 10 जून, 2021 से 17 जून, 2021 तक होगी।** पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट **http://backwardwelfare.up.gov.in** पर दिये गये लिंक एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in से निर्धारित प्रारूप पर संस्था द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु दिशा–निर्देश/समय सारिणी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी है।

आवेदन करने के उपरान्त संस्था द्वारा भरे गये आवेदन की प्रति डाउनलोड कर प्रिन्टआउट प्राप्त कर हस्ताक्षरित करते हुए समस्त अभिलेखों तथा उपलब्ध संसाधनों से संबंधित विवरण सहित निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, 10 वां तल, अशोक मार्ग, लखनऊ/कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या–17 में 25 जून, सांय 5:00 तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी उपलब्ध करायी जायेगी। संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचना एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण तथा संस्था की आधारभूत संरचनाओं का भौतिक सत्यापन के उपरान्त निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

(योगेश पाण्डेय)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली

पत्रांक 22/पि0व0क0/ओ0लेवल/2021–22 दिनांक 4-6-2021

1– प्रतिलिपि उप निदेशक सूचना को 10 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस–विज्ञप्ति को अपने प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय बरेली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

4– प्रधान सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनहित में अपने दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

5– प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6– उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण बरेली मण्डल बरेली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।